न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 04/2015

प्रार्थी		**अप्रार्थीगण**
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	**बनाम**	मंगलाराम पुत्र प्रतापजी जाति प्रजापत निवासी पादरू का वास, सिवाना जिला बाड़मेर (फर्म मालिक)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रमेश सोलंकी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 12.11.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.12.2014 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दौराने गश्त दोपहर 02.00 बजे मैसर्स कैलाश मार्केटिंग सिवाना पहुंचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम मंगलाराम पुत्र प्रतापजी जाति प्रजापत उम्र 53 वर्ष निवासी पादरू का वास, सिवाना जिला बाड़मेर (फर्म मालिक) बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाद्य सामग्री के साथ सरसों का तेल (खुला) जो एक स्टील की टंकी में लगभग 15 लीटर भरा हुआ पाया गया। उक्त सरसों के तेल में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के मालिक विक्रेता को जरिये रसीद संख्या 627 के द्वारा रूपये 128/— नगद अदा कर 1600 एल.एल. क्रय कर राशि की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी.417 खाध पदार्थ का विवरण, नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित की गई। खरीदे गये सरसों के तेल को कांच की चार साफ, सुखी एवं खाली शीशीयों में बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी पर एयरटाईट ढक्कन लगाया गया। प्रत्येक शीशी पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी, गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.417 अंकित कर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए अपने–अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये गये, जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.417 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया, जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ सरसों का तेल (खुला) की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/807/एक्ट/2014/826 दिनांक 29.12.2014 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाध पदार्थ सरसों के तेल का नमूना पी.417 अवमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। इसप्रकार जॉच में (Sub-standard) पाये गये खाध पदार्थ सरसो के तेल (खुला) का विक्रय करने से खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए,नमूना, खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.417 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से श्री रमेश सोलंकी अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित करते हुए निस्तारण करने का निवेदन किया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

3. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने बहस के दौरान् बताया कि दिनांक 17.12.2014 को जांच के दौरान् सरसों का तेल (खुला) में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की जॉच रिपोर्ट में नमूना पी–417 अवमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाना न्यायोचित है।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/807/एक्ट/2014/826 दिनांक 29.12.2014 अनुसार अप्रार्थी द्वारा बेचा जा रहा खाध पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जॉच में अवमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी मंगलाराम द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का सरसों का तेल रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी मंगलाराम पर 5000/–(अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 12.11.2016 से एक माह के अंदर– अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर